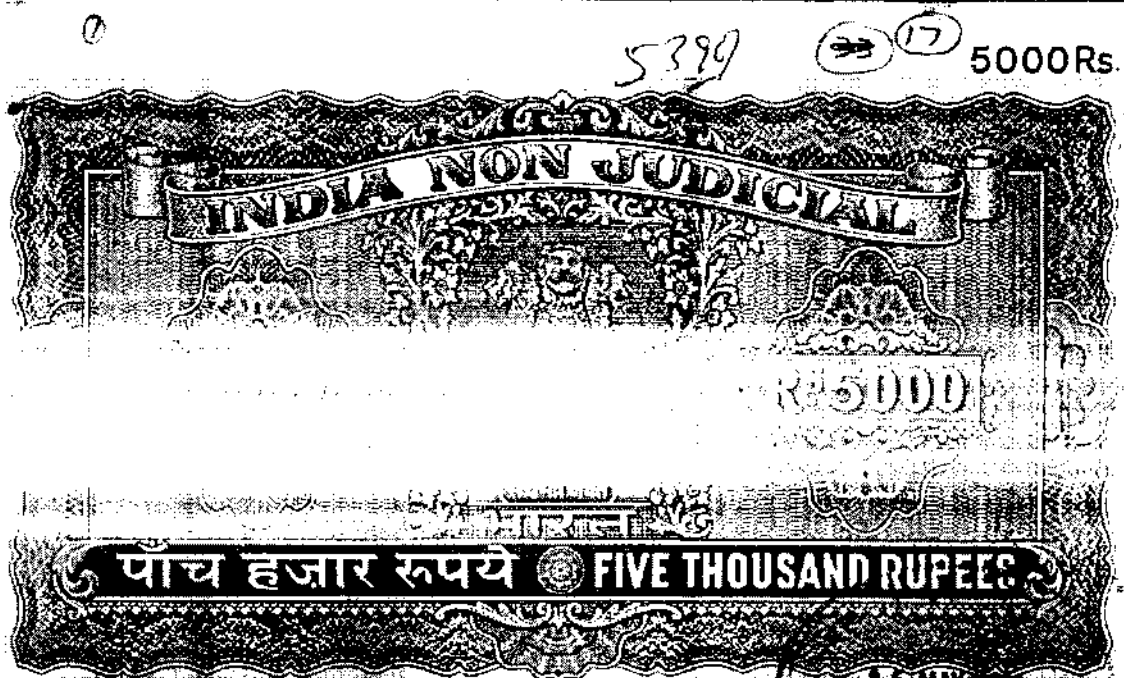




21504

Photo Attached
Teh. Santhana Meherpur



विक्रय पत्र

Photo Attached
Teh. Santhana Meherpur

➤ विक्रय मूल्य 7,87,800/- रुपये

➤ विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित

नहीं है।

Signature

Signature

Signature



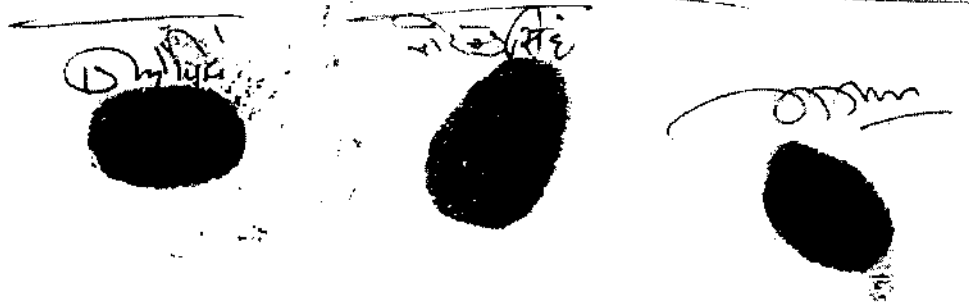
21000

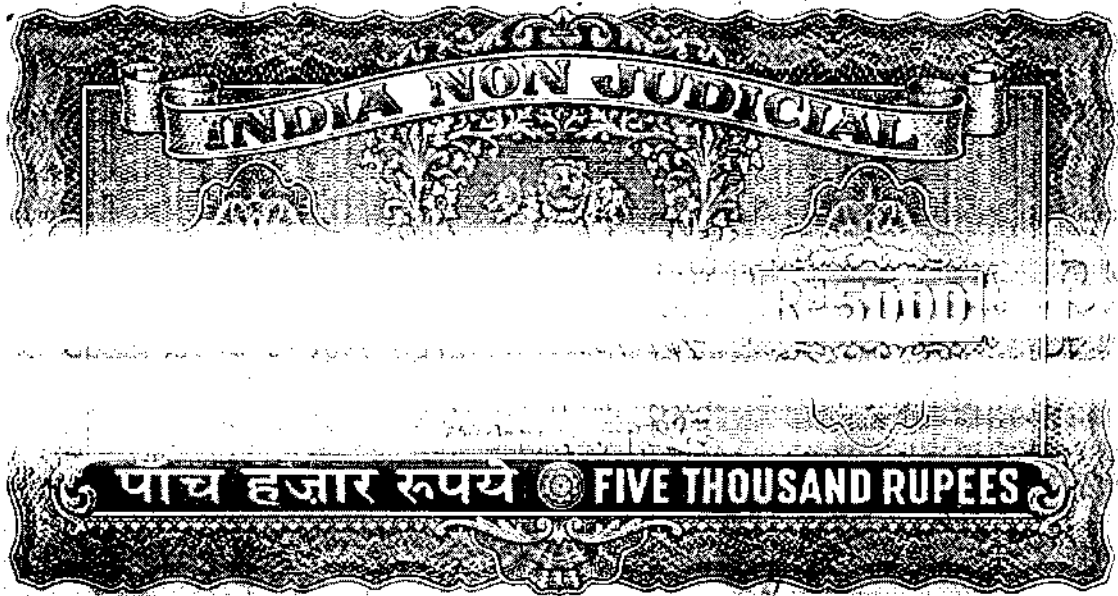
Adv. Suresh Chandra Mishra

➤ विक्रित भूमि पर अन्य प्रयोजन की दर 15,00,000/- रुपये प्रति

हैक्टेयर से अधिक दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

➤ कुल देय स्टाम्प अकन 78,800/- रुपये





21302

विक्रय पत्र ओर से जिले सिंह व नरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री

रामचन्द्र निवासीगण ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील

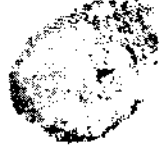
सरधना जिला मेरठ ----- प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं

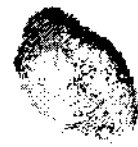
विशेष

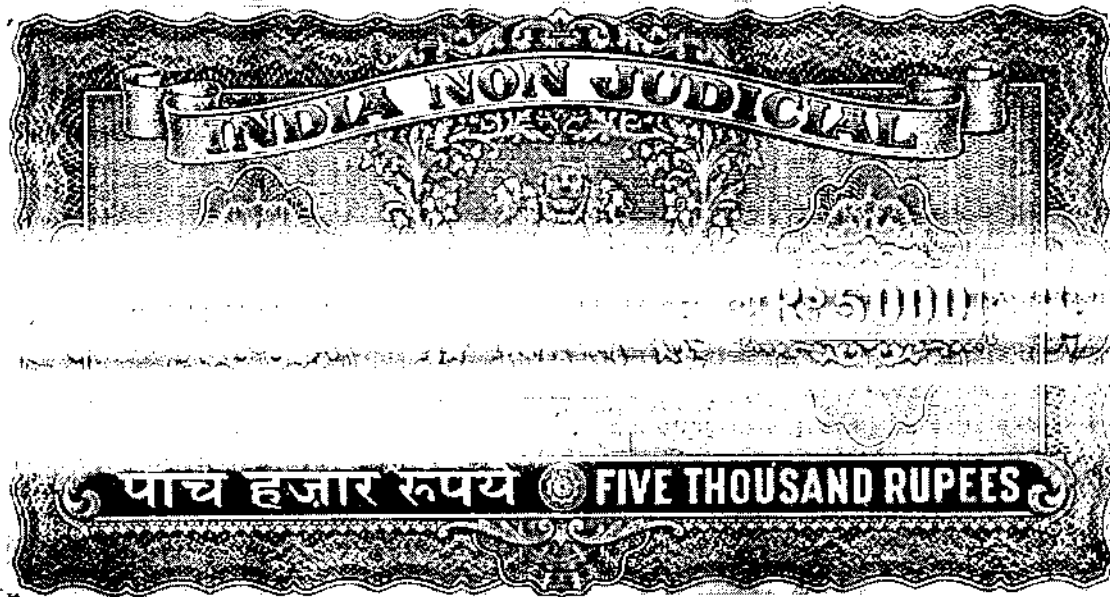


नरेन्द्र/सिंह



सिंह





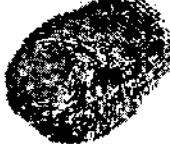
2100.

मै० अन्जुमन बिल्डिङ्ग प्रा० लि०, 110-इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग,
 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001, द्वारा मुख्य
 प्रबन्धक श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० सी.बी. शर्मा केयरआफ
 110-इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21-बारहखम्बा रोड, नई
 दिल्ली-110001 द्वितीय प्रक्ष (क्रेता)

७/११/८६



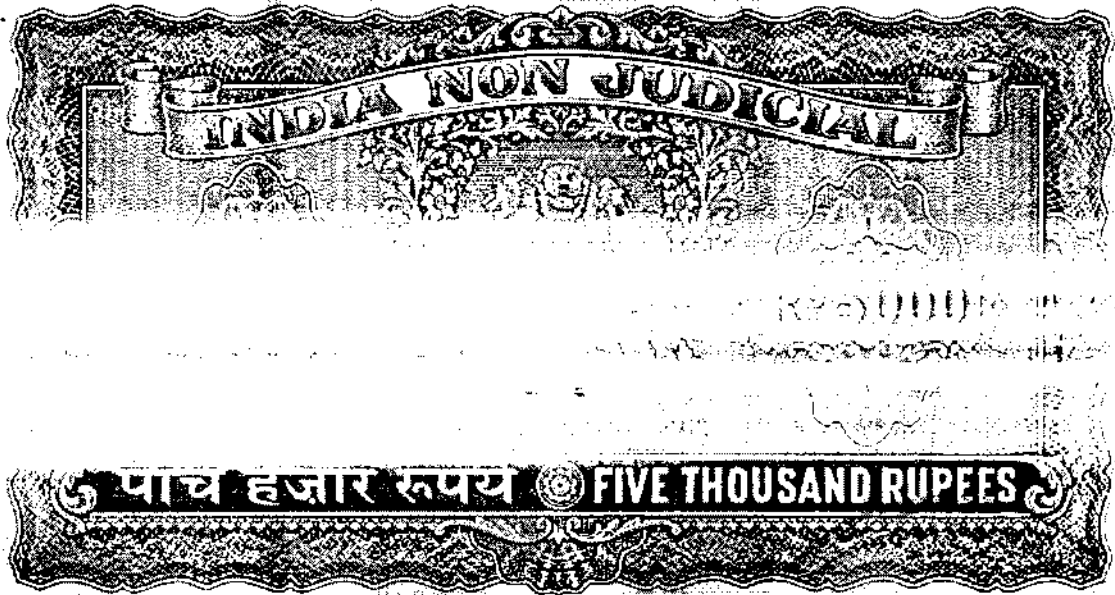
७/११/८६



4

७/११/८६





21560

जो कि भूमि खाता संख्या 000148 के खसरा नम्बर 1609

मि०, रकबा 0.1520 हे० शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य

हैक्टेयर में अपने समस्त $2/3$ दो बटा तीन भाग यानि

विकित भूमि $0.1013, 1/3$ हे० शून्य दशमलव एक शून्य एक

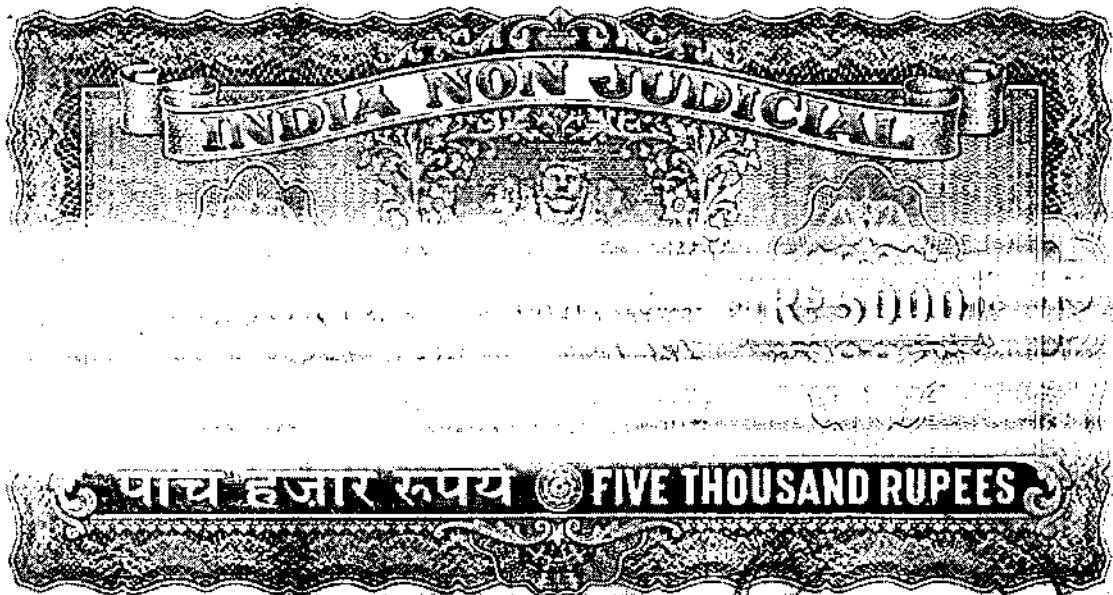
तीन सही एक बटा तीन हैक्टेयर, लगान 5.00 रुपये

10/1/14



10/1/14





21000

सालाना, स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना
जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक
अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष
विक्रेतागण की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण
एवं भार आदि से उन्मुक्त है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से

On this

जयपुर

Signature





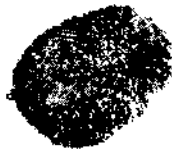
21300

25 MAY 2006

मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेतागण को अपनी
उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त
स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष
प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने
उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं

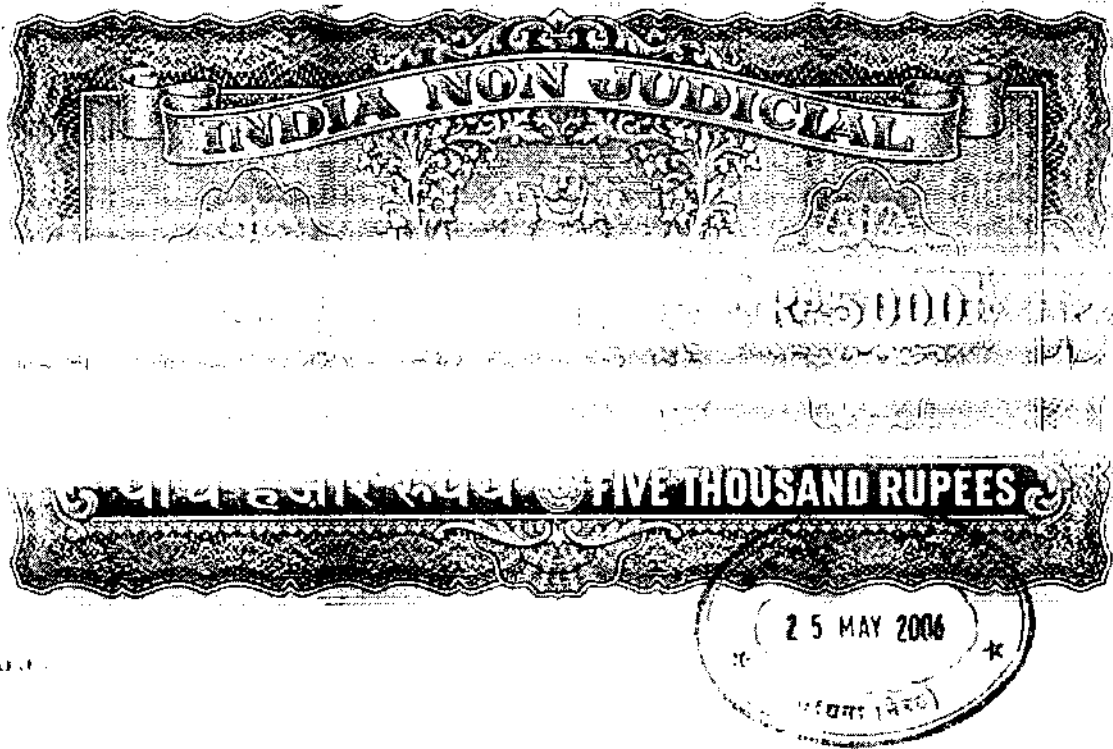
① 21300

महेश्वरी



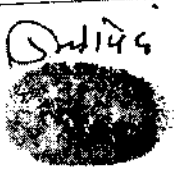
7



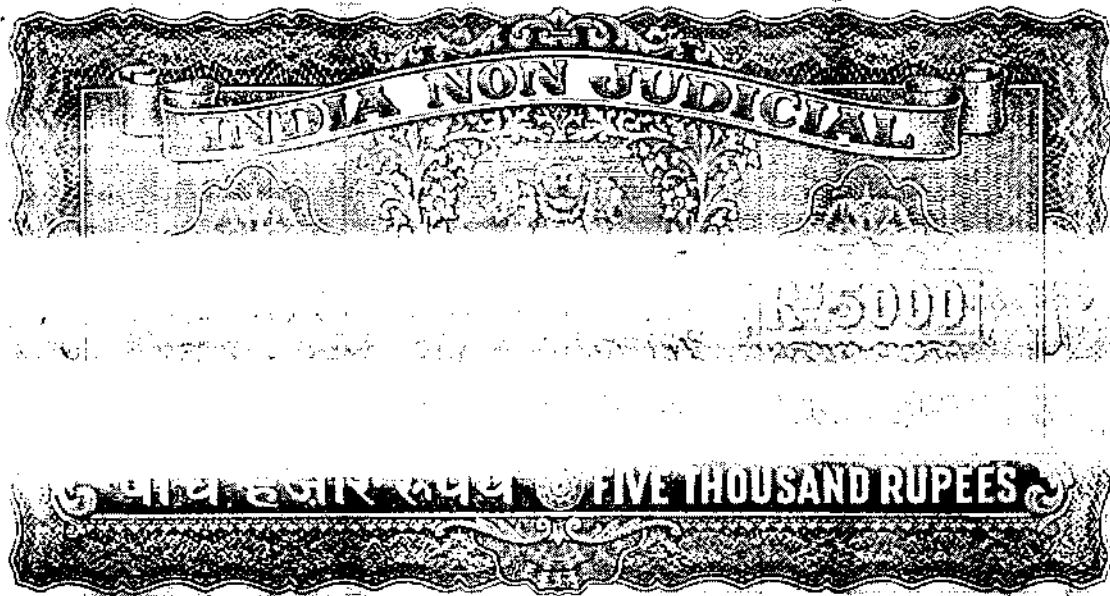


2100

किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या







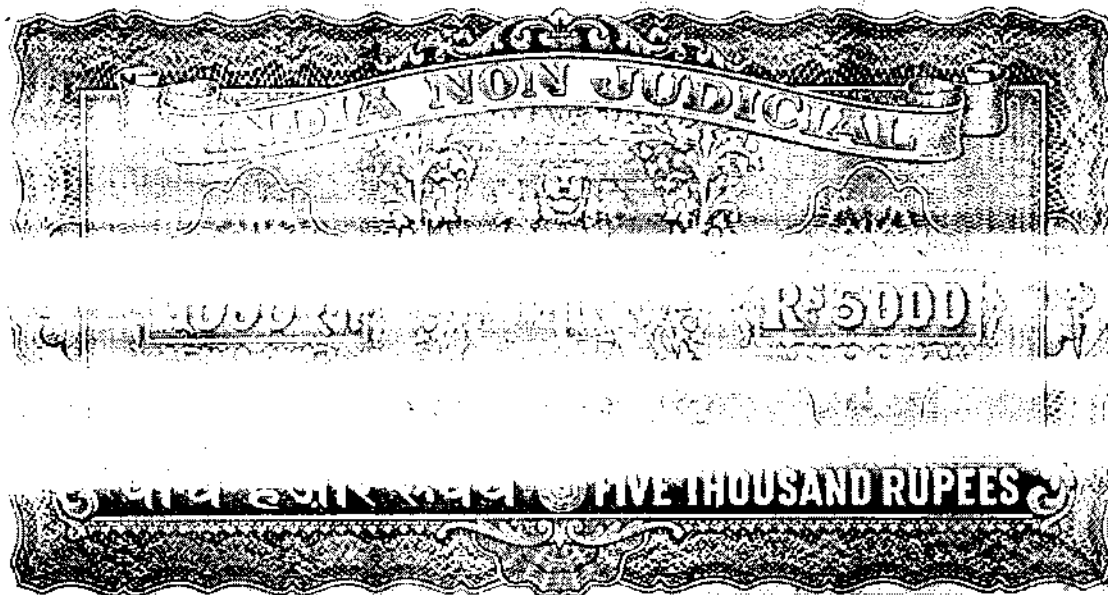
21500

रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की

17/11/88

नरेश्वर सिंह

जम्मू

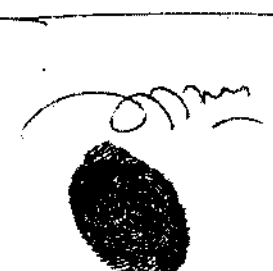


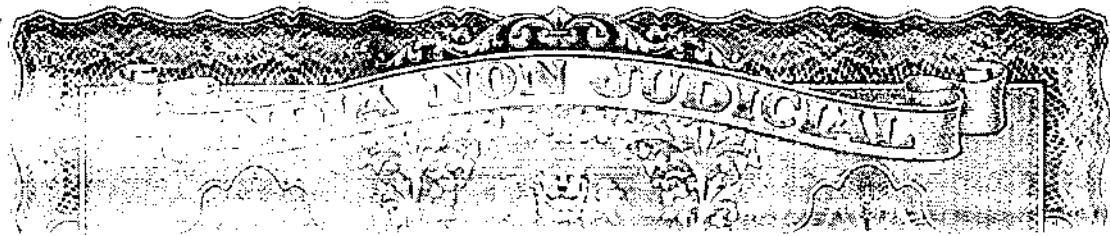
2130

2.5 2006

भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 7,87,800/- सात लाख सतासी हजार आठ सौ रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि







21037

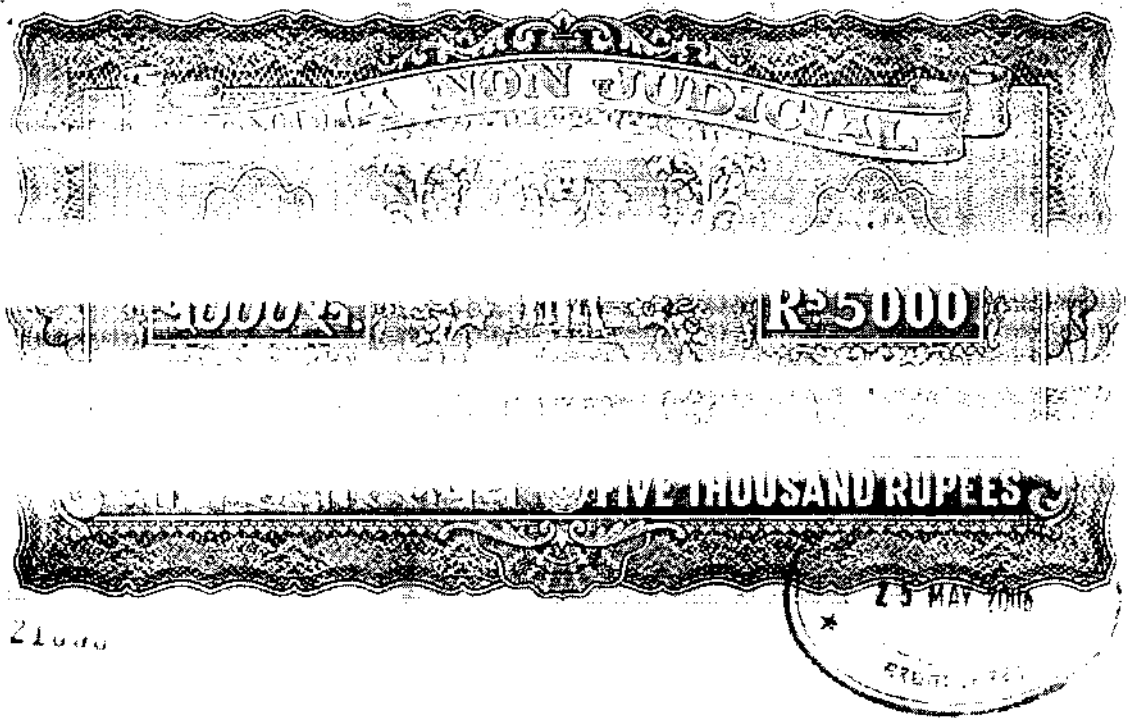
29

भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन

51172

12-SPTE





इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो,

स्थिर भस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 7,87,800/-

सात लाख सतासी हजार आठ सौ रुपये विक्रय मूल्य के

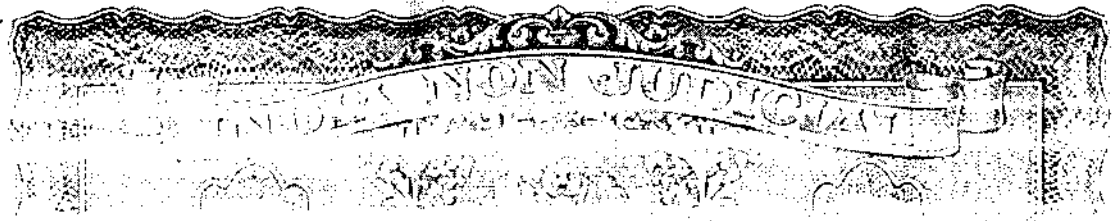
उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अन्वुमन बिल्डिकॉन प्रा0 लि0,

110-इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली

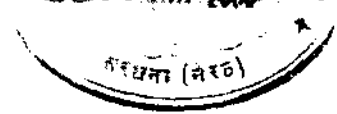
① म. प्र. द.

न. प्र. द.

म. प्र. द.



21001



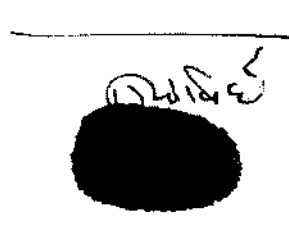
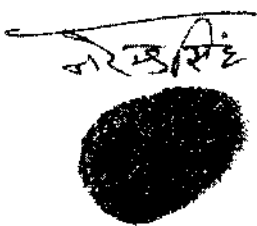
110001, द्वारा मुख्य प्रबन्धक श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० सी.

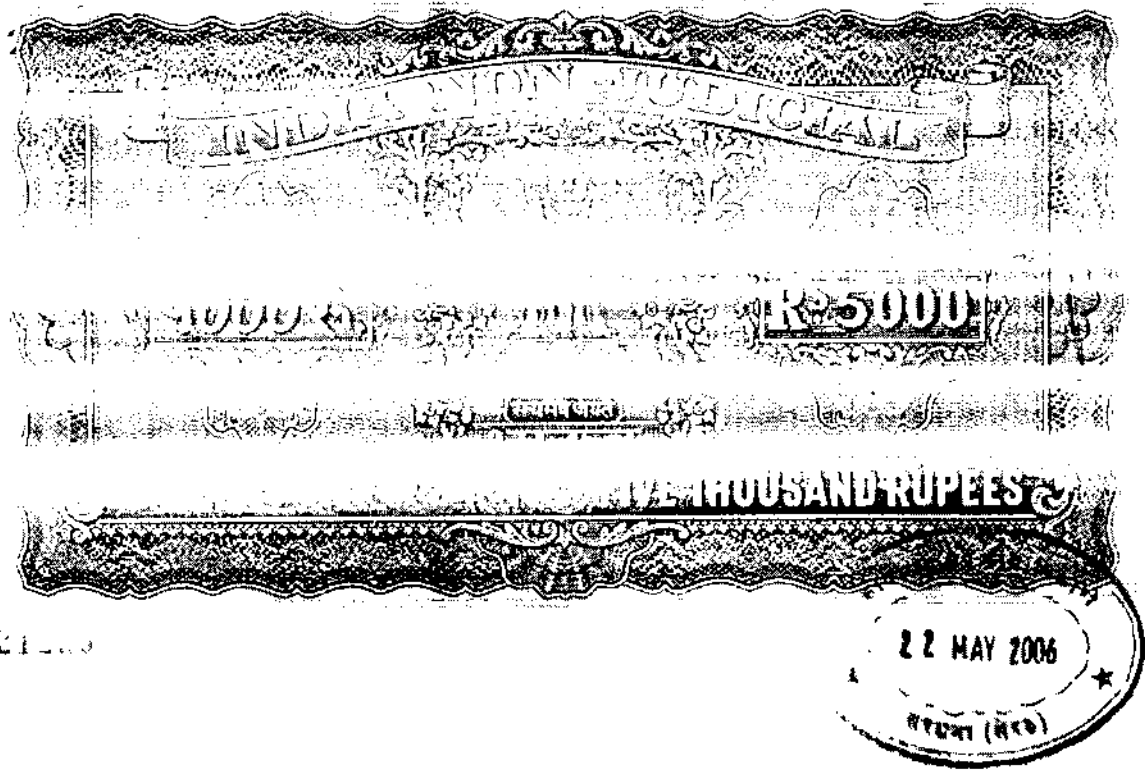
बी. शर्मा केयरआफ 110-इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21-बारहखम्बा

रोड, नई दिल्ली-110001 को विक्रय कर दिया और बेच डाला

और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय

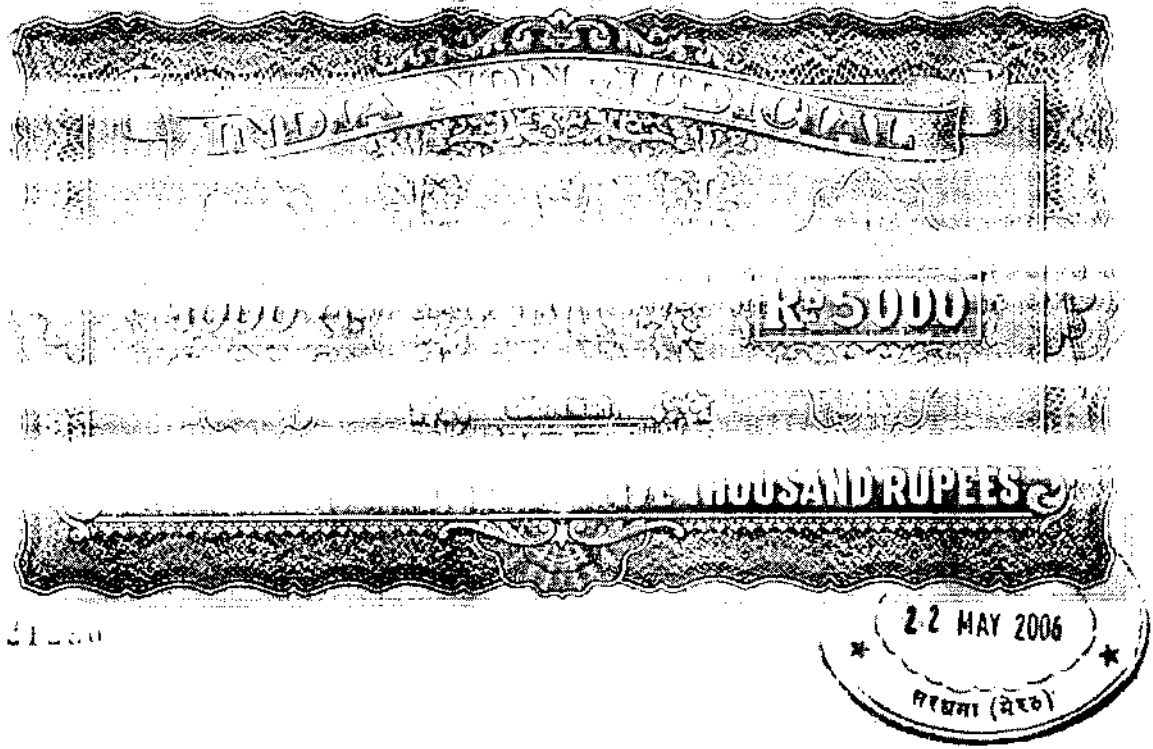
पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार,

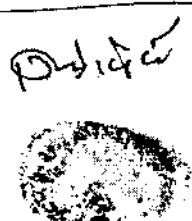
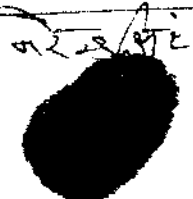
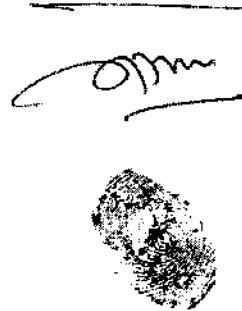



स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार,
स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं
वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई
अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष
नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह

14



विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य हैं तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे।

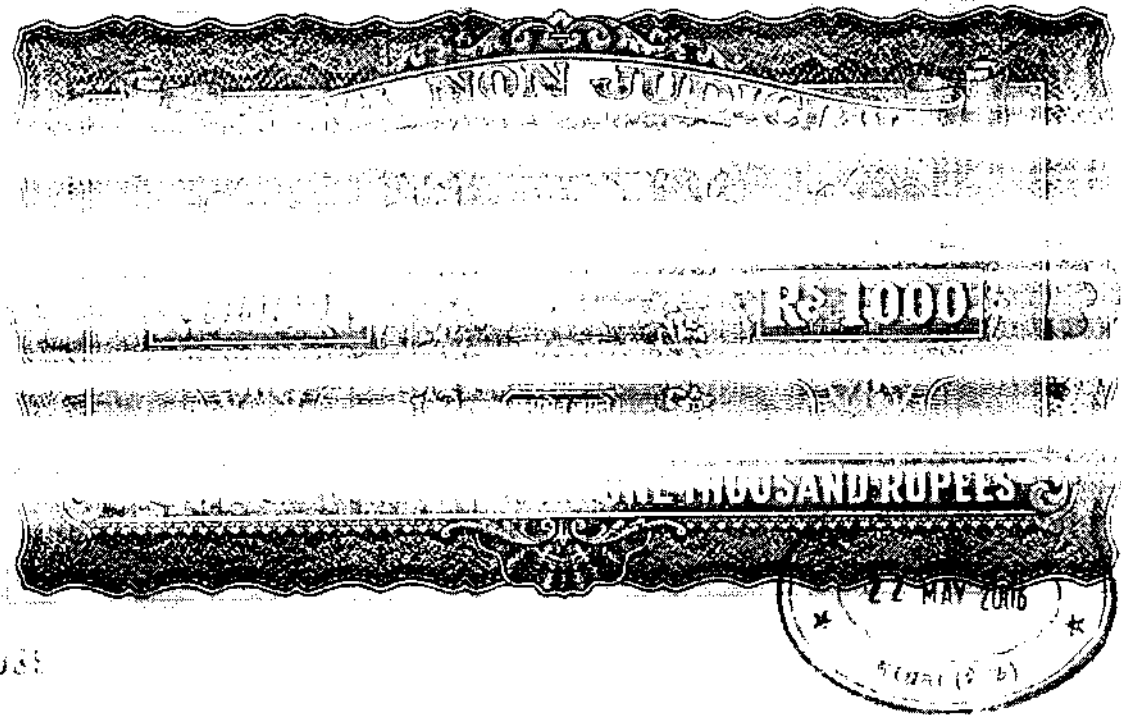


किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व
अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे
यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत
करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण
समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि

Dhali


गिरधारी


Opmm

20088

आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर
बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम
विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त
ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न
होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई

104/1/1

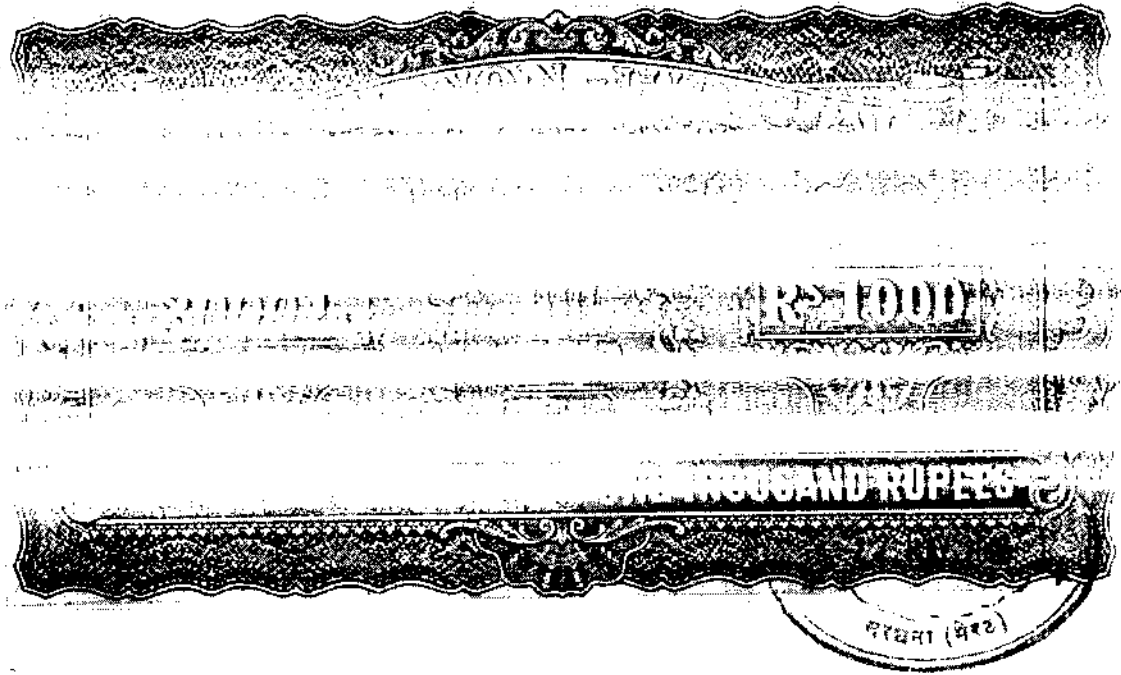


नरेश सिंह



104/1/1





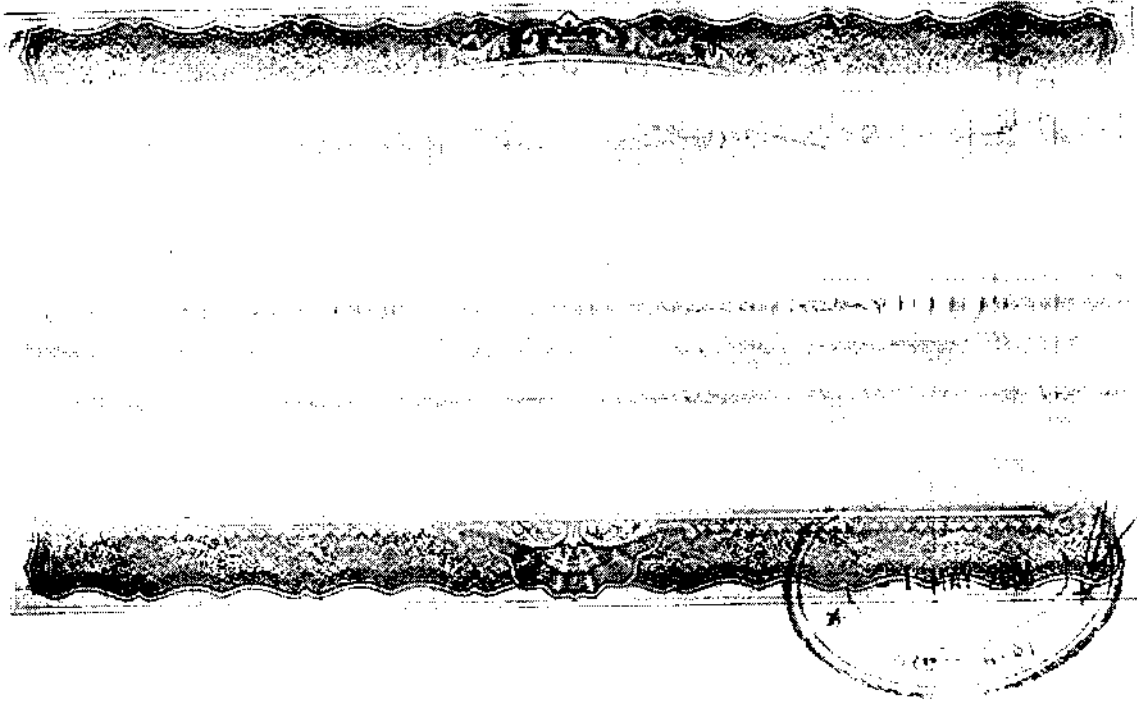
2000.

अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल
जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा
या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा
जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य
अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य

1000

1000

1000



में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष
 विक्रेतागण तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल
 सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह
 विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम
 आवे। इति।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

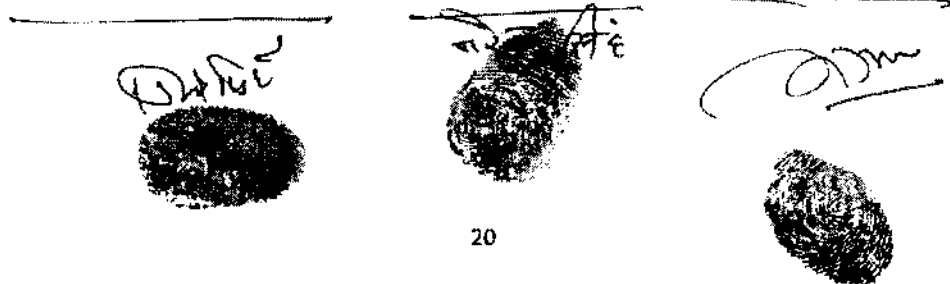


भूमि किस्म सेवटा अव्वल आबी है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में
कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:

अंकन 1,00,000/- रुपये चैक नम्बर 930305 दिनांक 25.3.2006

अंकन 2,93,900/- रुपये चैक नम्बर 152836 दिनांक 23.5.2006

अंकन 50,000/- रुपये चैक नम्बर 930307 दिनांक 23.5.2006

अंकन 3,43,900/- रुपये चैक नम्बर 152835 दिनांक 23.5.2006

① मीरवा



मीरवा



मीरवा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 401795
25 MAY 2006

सभी चैक यू टी आई बैंक लि० शाखा नई दिल्ली

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कुल अंकन

7,87,800/- रुपये प्राप्त किये।

दिनांक: 25.05. पच्चीस मई सन 2006 ई०

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

[Signature]

[Stamp]

[Signature]

22

[Signature]

[Stamp]

[Signature]

[Signature]
[Text]
31 अक्टूबर 2006Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)